

**\*प्रेस नोट\***

**\*जनपद – संतकबीरनगर\***

**\*दिनांक 16.06.2026\***

**\*संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जानलेवा फायरिंग की घटना में संलिप्त 08 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल, कारतूस, खाली खोखा एवं तीन चार पहिया वाहन बरामद\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **\*श्री संदीप कुमार मीना\*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **\*श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय\*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद **\*श्री जय प्रकाश दुबे\*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 01. कृष्णचन्द पाण्डेय उर्फ के0सी0 पुत्र संजय पाण्डेय साकिन घटरम्हा तितौवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. दीपक पाण्डेय पुत्र ध्रुवचन्द पाण्डेय साकिन पिपरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर हाल मुकाम वार्ड न0 08 तितौवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 03. हनीपाल उर्फ गौरवपाल पुत्र स्व0 अशोक पाल साकिन कोहना थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 04. दुर्गेश यादव पुत्र राकेश यादव साकिन सिसवनिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 05. दुष्यन्त राय पुत्र स्व0 रमेश राय साकिन घटरम्हा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 06. तुषार गुप्ता पुत्र पप्पू गुप्ता साकिन रौरापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 07. झिन्नू कन्नौजिया पुत्र गोलई कन्नौजिया साकिन घटरम्हा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 08. देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह साकिन धमरजा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को उतरावल गाँव में स्थित बीर बहादुर राय के मुर्गी फार्म से घटना में प्रयुक्त 03 अदद चारपहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त कृष्णचन्द पाण्डेय उर्फ के0सी0 की निशानदेही पर एक अदद पिस्टल 9 mm व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 9mm बरामद किया गया ।

**\*घटना का विवरण:-\*** दिनांक 16.06.2026 को वादी श्री बीरबहादुर राय पुत्र स्व0 रामसमुझ राय ग्राम उतरावल थाना कतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 15.06.2026 समय लगभग 08.30 बजे रात को लेन देन की बात को लेकर अभियुक्त कृष्णचन्द पाण्डेय उपरोक्त द्वारा अपने साथियों को लेकर तीन चारपहिया गाड़ी से वादी के मुर्गी फार्म उतरावल आकर, वादी को माँ बहन की गन्दी गन्दी गाली देते हुए कृष्णचन्द पाण्डेय उर्फ केसी जान मारने की नीयत से फायर किया गया व गाली व जान से मारने की धमकी दिया गया । **\*प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 531/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।\***

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-\***

01. कृष्णचन्द पाण्डेय उर्फ के0सी0 पुत्र संजय पाण्डेय साकिन घटरम्हा तितौवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
02. दीपक पाण्डेय पुत्र ध्रुवचन्द पाण्डेय साकिन पिपरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर हाल मुकाम वार्ड न0 08 तितौवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
03. हनीपाल उर्फ गौरवपाल पुत्र स्व0 अशोक पाल साकिन कोहना थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
04. दुर्गेश यादव पुत्र राकेश यादव साकिन सिसवनिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
05. दुष्यन्त राय पुत्र स्व0 रमेश राय साकिन घटरम्हा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
06. तुषार गुप्ता पुत्र पप्पू गुप्ता साकिन रौरापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
07. झिन्नू कन्नौजिया पुत्र गोलई कन्नौजिया साकिन घटरम्हा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
08. देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह साकिन धमरजा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

**\*बरामदगी का विवरण:-\***

❖ एक अदद पिस्टल 9 mm ।

- ❖ एक अदद जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 9mm ।
- ❖ स्कॉर्पियो वाहन संख्या UP51BM7272 ।
- ❖ वैन्यू वाहन संख्या UP58AF2111 ।
- ❖ क्रेटा वाहन संख्या UP53FR4449 ।

**\*पूछताछ विवरण-\*** पूछताछ करने पर अभि० कृष्णचन्द पाण्डेय उर्फ के०सी० ने बताया कि लगभग चार माह पूर्व मैंने बीर बहादुर राय से 09 लाख रुपये में एक क्रेटा वाहन खरीदा था, जो एक अन्य मुकदमे में थाना में सीज है। वाहन को न्यायालय से रिलीज कराने के लिए आवश्यक सहयोग न मिलने के कारण वीर बहादुर राय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में मैं अपने साथियों के साथ तीन चारपहिया वाहनों से मुर्गी फार्म पहुंचा और अपने साथियों के सहयोग से उसके उपर मैंने पिस्टल से फायर कर दिया जो किसी तरह बच गया उसके साथ के लोग हल्ला गुहार करने लगे गाँव के और आप पुलिस के आने पर मैं अपने साथियों के साथ भागने की फिराक में हटने बढने लगे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिये गये।

**\*घटना में प्रयुक्त एक अवैध 9 mm पिस्टल, एक जिन्दा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस 9mm की बरामदगी एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियोग अभियुक्त में धारा 3/7/25/27 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी।\***

**\*अभियुक्त कृष्णचन्द पाण्डेय उर्फ के०सी० उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-\***

1. मु०अ०सं० 1051/2023 धारा 147, 294, 353, 427, 504, 506 भादवि व 7 दंडविधि (संसोधन) अधि० 1932 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2. मु०अ०सं० 840/2025 धारा 115(2), 127(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
3. मु०अ०सं० 144/2026 धारा 109(1), 115(2), 127(2), 190, 191(2), 191(3), 324(4), 351(3), 352 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

**\*अभियुक्त दुष्यन्त राय उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-\***

1. मु०अ०सं० 279/2022 धारा 149, 148, 149, 307, 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

**\*अभियुक्त देवेन्द्र प्रताप सिंह उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-\***

1. मु०अ०सं० 279/2022 धारा 149, 148, 149, 307, 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02. मु०अ०सं० 682/2023 धारा 147, 149, 323, 325, 504, 506 भादवि व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

**\*गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:-\***

01. उ०नि० श्री शैलेन्द्र कुमार, उ०नि० श्री इन्द्रभूषण सिंह, उ०नि० श्री अनिल कुमार यादव, का० कमलेश यादव, का० सुर्यप्रकाश यादव, का० रघुवश प्रसाद, का० समशेर अली, रि०का० विकास पाठक, रि०का० विजय कुमार, रि०का० सुरज मिश्रा।

**\*संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जानलेवा फायरिंग की घटना में संलिप्त 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल, कारतूस, खाली खोखा एवं तीन चार पहिया वाहन बरामद करने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद द्वारा दी गयी बाईट।\***

**\*क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराध के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 25549.59 रु0 की धनराशि\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री संदीप कुमार मीना\*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदिका को लाभ का प्रलोभन देकर उसके साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में ट्रांसफर हुए 52,129.00 रुपये में से 25549.59 रुपये की धनराशि आवेदिका के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

**\*घटना का संक्षिप्त विवरण:-\*** श्रीमती अरुणा गिरी पत्नी आशुतोष गोस्वामी निवासी रसूलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से दिनांक 07.02.2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदिका को लोन देने का प्रलोभन देकर उनके साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में 52,129.00 रुपये की धनराशि ट्रांसफर करवा लिया गया। ठगी का अहसास होने पर आवेदिका ने तत्काल थाना कोतवाली खलीलाबाद में शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 33102260029531 पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 52,129.00 रुपये में से 25549.59 रुपये की धनराशि को आवेदिका के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

**\*साइबर सेल टीम:-\*** अपराध निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव (प्रभारी साइबर सेल), का0 रविकान्त कुशवाहा, म0का0 रीता देवी, म0का0 शिवांगी सिंह।

**\*अपील-\*** जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

**\*थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री संदीप कुमार मीना\*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **\*श्री सर्वदवन सिंह\*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा **\*श्री उमाशंकर त्रिपाठी\*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर जिलाबदर अभियुक्त 01. पंचम निषाद पुत्र स्व0 मोती उर्फ मोतीलाल निवासी लेडुआ महुआ झुंगिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 15.06.2026 को वहदग्राम लेडुआ महुआ झुंगिया से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 239/2026 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा निवारण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\***

01. पंचम निषाद पुत्र स्व0 मोती उर्फ मोतीलाल निवासी लेडुआ महुआ झुंगिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

**\*गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:-\***

01. थानाध्यक्ष बखिरा श्री उमाशंकर त्रिपाठी, हे0का0 रमेश मिश्रा, का0 संजीव यादव, का0 अनूप यादव, रि0का0 रूपान्जय सिंह।

**\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 1100 ग्राम अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री संदीप कुमार मीना\*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **\*श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय\*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद **\*श्री जयप्रकाश दूबे\*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता 01. रवि मिश्रा पुत्र अजय मिश्रा साकिन कटेहवा चौराहा तितौवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को शमशान घाट के पास बने सीमेंट के बेंच से 1100 ग्राम अवैध गाँजा के साथ दिनांक 15.06.2026 को गिरफ्तार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षर: पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\***

1. रवि मिश्रा पुत्र अजय मिश्रा साकिन कटेहवा चौराहा तितौवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0स0 529/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

**\*बरामदगी-\***

1100 ग्राम अवैध गाँजा।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\*** उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, हे0का0 छोटेलाल सिंह, का0 भानू प्रताप सिंह, का0 मनीष यादव, का0 मनीष वर्मा।

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस\*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*थाना दुधारा पुलिस\*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*थाना बखिरा पुलिस\*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*थाना धर्मसिंहवा पुलिस\*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 432 वाहनों से 4,48,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 16.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 432 वाहनों से 4,48,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

**\*मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **\*श्री संदीप कुमार मीना\*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **\*श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय\*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 16.06.2026 को थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 248/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त विशाल पुत्र चन्द्रप्रकाश गौतम निवासी बाबू गगनई थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को पिपरा बोरिंग तिराह से बघौली जाने वाली सड़क पर बगीचे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 64 (1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट की बढोतरी की गई है\***

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 10.06.2026 को थाना दुधारा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\*** उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, हे0का0 एहतेशाम, रि0का0 राहुल यादव।